



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235097
CG-DL-E-13042022-235097

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1697]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944

No. 1697]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2022

का.आ. 1784(अ).—जबकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 4 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 24 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया था।

और जबकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा अधिनियम, 2019 की धारा 4(3) (i) के अनुसरण में, भारत सरकार ने सुश्री आरती आहूजा, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में सदस्य, पदेन के रूप में नामित किया गया था।

और जबकि, सुश्री आरती आहूजा को अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।

अतः, अब भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 24 सितंबर, 2020 की अधिसूचना सं. सां.आ. – 3260 (ई) में पैराग्राफ (2) के तहत, तालिका में क्र.सं. (झ) और उससे संबंधित प्रविष्टि निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जायेंगी:

अधिनियम की धारा 4(3)	सदस्य	सदस्यता का स्तर
(1)	(2)	(3)
(अ)	सुश्री रोली सिंह, अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य, पदेन

[फा. सं. 11013/01/2019-एमईपी (पार्ट-1)]

वी. हेकाली झिमोमी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2022

S.O. 1784(E).—Whereas on 24th September, 2020, the National Medical Commission was constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with sub-section (1) of section 5 and sub-section (1) of section 8 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019).

And whereas the Central Government, in pursuance of the Clause of section 4(3) (i) of the National Medical Commission Act, 2019, Government of India, nominated Ms. Arti Ahuja, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi as Member, ex-officio in National Medical Commission.

And whereas, Ms. Arti Ahuja has been relinquished from the charge of Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare.

Now, therefore, in the Notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3260(E) dated 24th September, 2020 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) under paragraph (2), in the Table, the serial number (i) and the entry relating thereto, shall be substituted as under:—

Clause of section 4(3) of the Act	Member	Status of Member
(1)	(2)	(3)
(i)	Ms. Roli Singh, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi	Member, <i>ex-officio</i>

[F.No. 11013/01/2019-MEP (Pt. 1)]

V. HEKALI ZHIMOMI, Jt. Secy.